# न्यायालयः राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर म.प्र.

प्रकण कमांक /I/2015 निगरानी नि./3011/I/15

पन्नालाल पुत्र देवीराम जाति जाटव
निवासी ग्राम खिरखिरी तहसील कराहल
जिला श्योपुर म.प्र.

............निगरानीकर्ता

बनाम

हुकमचन्द पुत्र मांगीलाल बंसल, जाति वैश्य
निवासी कराहल तह.कराहल जिला श्योपुर

............गैरनिगरानीकर्ता

**श्रीमान अपर कलेक्टर श्योपुर के प्रकरण कमांक 15/11–12/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 13.08.2014 के विरूद्व म.प्र. भू.राजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत।**

मान्यवर महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः–

निगरानी के संक्षिप्त में सार :–

ग्राम खिरखिरी की चरनोई भूमि को काबिल कास्त से बदलकर ग्राम के हरिजन व आदिवासियों को बंटन करने हेतु शासकीय चरनोई भूमि को 2 प्रतिशत आरक्षित करके शेष भूमि को बंटन करने का आदेश दिये गये थे, उक्त आदेश के पालन में निगरानीकर्ता को उक्त भूमि का पट्टा नायब तहसीलदार कराहल जिला श्योपुर के न्यायालयीन प्र.कं. 5/01–02/अ–19 से दिनांक 30.05.2002 को निगरानीकर्ता को पट्टा दिया गये थे। ग्राम के 181 लोगों को पट्टे दिये गये थे। निगरानीकर्ता पन्नालाल को ग्राम खिरखिरी की भूमि सर्वे नम्बर 134 मि. 0.836 हेक्टेयर भूमि यानि 4 बीघा भूमि का पट्टा दिया था और तभी से निगरानीकर्ता द्वारा उक्त भूमि को मेहनत करके कृषि योग्य बनाया गया है और वर्तमान में मौके पर काबिज होकर खेती करता चला आ रहा है। गैरनिगरानीकर्ता द्वारा झूठे तथ्यों के आधार पर तीन वर्ष पश्चात् एक निगरानी कलेक्टर महोदय श्योपुर के समक्ष प्रस्तुत की। ग्राम खिरखिरी की भूमि सर्वे नम्बर 134 में से रकबा 13 बीघा पर उसका कब्जा था जबकि गैर निगरानीकर्ता कराहल में निवास करता है तो उसका ग्राम खिरखिरी में कब्जा कैसे हुआ, इस बात की जॉच किये बिना और धारा 5 का निराकरण किये बिना निगरानीकर्ता का पट्टा कर दिया कि आवेदक के पिता के पास ग्राम में 2.038 हेक्टर का पट्टा है। इसकारण से उसका

कमंशः........2

# न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3011—एक/2015 जिला —श्योपुर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभा [ ]कों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 7.2.19 | आवेदक के अधिवक्ता श्री दिवाकर दीक्षित उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपर कलेक्टर जिला श्योपुर के प्रकरण कमांक 15/निगरानी/2011—12 में पारित आदेश दिनांक 13/08/14 के विरूद्व म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा—50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।<br>2— म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:—<br>धारा—50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन—<br>(ख) इस संहिता के अधीन प्रथम निगरानी में पारित किसी अंतिम आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा।<br>3—परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 15/04/19 को उपस्थित हों।<br><br>सदस्य<br><br>पेशी दिनांक 15/4/19<br>**अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना** | |